मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *57
06.02.2023 को उत्तर के लिए

धूल को कम किए जाने संबंधी उपाय

57. श्रीमती लॉकेट चटर्जी :
श्री सुनील कुमार पिन्टू :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के अधिदेश के अनुसार धूल को कम करने संबंधी उपायों का अनुपालन न करने के बढ़ते मामलों का संज्ञान लिया है, जिसके परिणामस्वरूप निर्माण और ध्वस्तीकरण कार्यों तथा ताप विद्युत संयंत्रों से अपशिष्ट निकलते हैं जो हवा में फैलते हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) सीएक्यूएम के अधिदेश के अनुसार दिल्ली और उत्तर प्रदेश में धूल कम करने के उपायों का अनुपालन न करने के कितने मामले सरकार के संज्ञान में आए हैं और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार का अनुपालन की निगरानी और धूल कम करने के उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली बनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) विगत एक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान सीएक्यूएम के तहत धूल कम करने के उपायों के अनुपालन के लिए भागलपुर में एनटीपीसी सहित विभिन्न क्षेत्रों में किए गए फील्ड दौरों या निरीक्षणों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(च) सड़कों की खराब हालत वायु प्रदूषण के लिए कितनी जिम्मेदार है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (च) विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

*****

'धूल को कम किए जाने संबंधी उपाय' के संबंध में माननीय संसद सदस्यों श्रीमती लॉकेट चटर्जी और श्री सुनील कुमार पिन्टू द्वारा दिनांक 06.02.2023 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *57 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने विभिन्न सांविधियों नामत: सीएंडडी अपशिष्ट प्रबंधन नियमों और संबंधित सीपीसीबी दिशानिर्देशों के अनुपालन का आह्वान करने के अलावा, एनसीआर में धूल को कम करने के लिए सांविधिक निदेश और परामर्शिकाएं जारी की हैं। सीएक्यूएम के पास धूल को कम करने संबंधी उपायों का अनुपालन करने हेतु एक व्यापक निगरानी कार्यतंत्र और प्रणाली मौजूद है। संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/डीपीसीसी द्वारा किए गए निरीक्षणों के अलावा, सीएक्यूएम द्वारा गठित उड़न दस्तों/निरीक्षण दलों ने सीएंडडी परियोजना स्थलों के *गुप्त रूप से* निरीक्षण किए हैं।

(ग) दिनांक 31.01.2023 की स्थिति के अनुसार, सीएक्यूएम द्वारा गठित उड़न दस्तों के द्वारा सीएंडडी परियोजनाओं, सड़क निर्माण/पुन:निर्माण परियोजनाओं, उद्योगों आदि जैसे क्षेत्रों में कुल लगभग 11,910 क्षेत्र निरीक्षण किए गए हैं। उक्त निरीक्षणों के दौरान, सीएंडडी क्षेत्र में दिल्ली के एनसीटी में 48 परियोजनाएं और उत्तर प्रदेश के एनसीआर जिलों में 77 परियोजनाएं, निर्देशों/नियमों/दिशानिर्देशों का व्यापक रूप से उल्लंघन करती हुई पाई गई थीं। इन्हें स्थल पर कार्य बंद करने संबंधी निर्देश जारी किए गए थे। विभिन्न सांविधिक अपेक्षाओं के विधिवत अनुपालन तथा निवारक एवं सुधारात्मक उपाय करने के बाद ही इन परियोजनाओं में कार्य आरंभ किया जाता है।

(घ) इस आयोग के सांविधिक निर्देशों के तहत, बड़ी सीएंडडी परियोजनाओं की सुदूर निगरानी को सुविधाजनक बनाने के लिए एनसीआर में 500 वर्ग मीटर के बराबर या उससे अधिक क्षेत्र के प्लॉट पर सभी परियोजनाओं के लिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान राज्यों और दिल्ली के एनसीटी में संबंधित निर्दिष्ट वेब पोर्टलों पर पंजीकरण कराना और विभिन्न निर्धारित उपायों के स्वत: अनुपालन का प्रमाण पत्र देना अपेक्षित है। संबंधित वेब पोर्टलों के माध्यम से निरीक्षण अभिकरणों द्वारा अनुपालनों की सुदूर निगरानी को समर्थ बनाने के लिए इन परियोजना स्थलों की विडियो फैन्सिंग करना भी अपेक्षित है। ऐसे पोर्टल विकसित कर लिए गए हैं तथा एनसीआर राज्यों और दिल्ली के एनसीटी में प्रचालन में हैं।

(ङ) वर्ष 2021-22 के दौरान, सीएक्यूएम द्वारा गठित उड़न दस्तों के द्वारा सीएंडडी परियोजनाओं, सड़क निर्माण/पुनर्निर्माण परियोजनाओं और उद्योगों आदि जैसे क्षेत्रों में कुल मिलाकर लगभग 5,456 क्षेत्र निरीक्षण किए गए थे। वर्ष 2022-23 के दौरान, दिनांक 31.01.2023 तक कुल मिलाकर लगभग 6,456 क्षेत्र निरीक्षण किए गए हैं। इस आयोग का गठन, एनसीआर और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता के संरक्षण और उसमें सुधार करने के उद्देश्य से किया गया है।

(च) एनसीआर में सड़कों की खराब स्थिति, वायु प्रदूषण को बढ़ाने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। वर्ष 2016 में, आईआईटी कानपुर द्वारा प्रस्तुत किए गए 'दिल्ली में वायु प्रदूषण और ग्रीन हाऊस गैसों संबंधी व्यापक अध्ययन' में निष्कर्ष निकाला गया है कि गर्मियों में पीएम$_{10}$ और पीएम$_{2.5}$ में मिट्टी और सड़क की धूल का हिस्सा लगभग 26% हो सकता है।

****